



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज, सरोजनी नगर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अस्था पांडेय
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460512914
वाद संख्या:- 12914/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम अम्बर लाल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "आदेश तिथि:- 01/06/2026

2935/0.158082

प्रस्तुत वाद वादी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमें विक्रय पत्र दिनांक 28.03.26 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इश्तहर जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखी/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग भूदान, पट्टा से नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा विक्रय अनुमति संलग्न है। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश
अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना, परगना काकोरी, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00267 की गाटा संख्या खसरा सं० 2914 का कुल रकबा 0.0510 हे० में से विकीत रकबा 0.0255 हे०, खसरा सं० 2935 रकबा 0.1580 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0790 हे०, खसरा सं० 1824 रकबा 0.1140 हे० में से विकीत रकबा 0.0570 हे०, खसरा सं० 1301 रकबा 0.1390 हे० में से विकीत रकबा 0.0693 हे० खसरा सं० 1302 रकबा 0.0380 हे० में से विकीत रकबा 0.0190 हे० खसरा सं० 2988 रकबा 0.2280 हे० में से विकीत रकबा 0.0380 हे० खसरा सं० 1450 रकबा 0.1390 हे० में से विकीत रकबा 0.0693 हे० खसरा सं० 710 रकबा 0.1270 हे० में से विकीत रकबा 0.1270 हे० खसरा सं० 354 रकबा 0.0500 हे० में से विकीत रकबा 0.0249 हे० कुल रकबा 0.2660 हे० में से विक्रीत रकबा 0.5090 हे० मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री अम्बरलाल व श्री प्रकाश पुत्रगण शिव चरन व श्रीमती केशना पत्नी शिव चरण निवासीगण-ग्राम-दोना, परगना काकोरी, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र अंजनी कुमार शुक्ला लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 28.03.26 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"